न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई0ए0एस

प्रकरण संख्या: 37 / 2017

उनवान

कुबेर पिता हकरिया जाति सरगड़ा निवासी आंजना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा

— प्रार्थी

बनाम

(1) नातिया पिता कचरिया जाति सरगड़ा निवासी आंजना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा

(2) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान टेनेन्सी एक्ट

निर्णय

दिनांक 22.01.2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व और आधिपत्य की कृषि भूमि में जाने हेतु शिवाचक भूमि आराजी सर्वे नम्बर 2580 एवं 2581 वाके ग्राम आंजना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित है। उक्त सर्वे नम्बर भूमि शिवाचक है तथा प्रार्थी उक्त सर्वे नम्बर की भूमि का उपयोग अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ते के रूप में करता चला आ रहा है। अप्रार्थी आये दिन जेसीबी लेकर आते है उक्त शिवाचक भूमि स्थित रास्ते में मकान बनाकर अवरोध पैदा कर अवैध निर्माण कर रास्ते को बन्द करने को आमादा हो गया था जिस पर श्रीमान् तहसीलदार को मुझ प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया जिसमें मौके पर गिरदावर एवं पटवारी द्वारा अप्रार्थी नम्बर 01 को दिनांक 10/02/2017 को पाबन्द किया गया था। अप्रार्थी नम्बर 01 द्वारा पुनः उक्त सर्वे नम्बर की भूमि पर मकान, जेसीबी एवं ट्रेक्टर द्वारा मौके पर भराव करने को आमादा हो गया था जिस पर मुझ प्रार्थी द्वारा पुनः श्रीमान् तहसीलदार गढ़ी एवं श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी गढ़ी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया था तथा तत्काल मौके पर तहसीलदार साहब द्वारा गिरदावर एवं पटवारी को पुनः आदेशित कर दिनांक 23/03/2017 को मौके पर जाकर अवैध भराव नहीं करने एवं निर्माण नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया था। अप्रार्थी नम्बर 01 द्वारा राजकीय कर्मचारियों श्रीमान् तहसीलदार साहब एवं श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय गढ़ी के आदेशों की अवहेलना कर उक्त शिवाचक भूमि पर पुनः अवैध रूप से भराव कर निर्माण करने आमादा है। प्रार्थी के पास अपने उपरोक्त खेत में आने जाने का आराजी नम्बर 2580, 2581 की शिवाचक भूमि के अलावा आने जाने का अन्य कोई रास्ता अथवा विकल्प नहीं है। प्रार्थी के खेत के चारो ओर अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी बार बार रास्ता अवरूद्ध करता रहा है। कुछ समय पूर्व अप्रार्थी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर मुख्य सड़क सीमा से लगी हुई भूमि होने के बावजूद फर्जी तरीके से अतिक्रमण कर सार्वजनिक रास्ते को अवरूद्ध करने उतारू है। उपरोक्त आराजी सर्वे नम्बर 2580, 2581 अप्रार्थी की भूमि राज्य सड़क मार्ग की सीमा के अन्दर विद्यमान है। कानूनन इस [illegible] का किसी अन्य प्रकार से उपयोग किया जाना सम्भव नहीं है। प्रार्थी उक्त शिवाचक भूमि में कच्चा [illegible] रास्ते के रूप में उपयोग कर रहा है तथा ग्राम पंचायत [illegible] सड़क बनाने हेतु प्रस्ताव लेकर सम्बन्धित राजस्व अधिकारी [illegible] के खेत में आने जाने का एकमात्र रास्ता है और अप्रार्थी [illegible] मिलकर रास्ता अवरूद्ध किया है। जिसे खोलकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता [illegible] करना आवश्यक होने से [illegible]—पत्र प्रस्तुत हुआ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.03.16 11:47:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री ललितपुरी, अभिभाषक का वकालातनामा पेश होकर पत्रावली अप्रार्थी संख्या 01 के जवाब हेतु नियत की जाकर अप्रार्थी अभिभाषक को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नही होने पर अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब बन्द किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 के अभिभाषक द्वारा "**NO INSTRUCTION PLEAD**" किया जाने पर अप्रार्थी संख्या 02 के अभिभाषक को अपने पक्षकार को सूचित करने निर्देश किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 के अभिभाषक को अपने पक्षकार को पैरवी नही करने के कम में सूचित कर सूचना रिपोर्ट न्यायालय में पस्तुत करने कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी पक्षकार को दी गई सूचना की रिपोर्ट प्रस्तुत नही होने पर प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी से रिपोर्ट प्राप्त की गई।

प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कथन किया गया कि ग्राम आंजना की खाता संख्या 90 के सर्वे नम्बर 1170 रकबा 0.13 हे0, सर्वे नम्बर 2583 रकबा 0.30 हे0 भूमि कुबेर दत्तक पुत्र हकरीया जाति सरगड़ा के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड है व खाता संख्या 471 के सर्वे नम्बर 1181 रकबा 0.09 हे0, सर्वे नम्बर 3383 रकबा 0.10 हे0 भूमि नाथी पत्नि हकरीया, कुबेर पिता धीरा जाति सरगड़ा के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा उक्त खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु श्रीसरकार सर्वे नम्बर 2580 रकबा 0.08 हे0 किस्म–ह.क. व सर्वे नम्बर 2581 रकबा 0.03 हे0 किस्म–भू.साग में से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। ग्राम आंजना के श्रीसरकार सर्वे नम्बर 2581 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 2580 रकबा 0.08 हे0 में से रकबा 0.03 हे0 भूमि को किस्म–रास्ता हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, संलग्न ग्राम आंजना की खाता संख्या 1 की जमाबन्दी संवत 2967 से 2071, नक्षा किश्तवार ग्राम आंजना सन् 1988, नक्षा किश्तवार ग्राम आंजना सन् 1982, ग्राम पंचायत आंजना के प्रस्ताव की प्रति, खाता संख्या 381 की नकल जमाबन्दी, खाता संख्या 306 की नकल जमाबन्दी एंव भूमिधारी तत्कालीन तहसीलदार गढ़ी की रिपोर्ट तथा तहसील राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट आदि का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि प्रार्थी की खाता संख्या 90 के सर्वे नम्बर 1170 रकबा 0.13 हे0, सर्वे नम्बर 2583 रकबा 0.30 हे0 एंव खाता संख्या 471 के सर्वे नम्बर 1181 रकबा 0.09 हे0, सर्वे नम्बर 3383 रकबा 0.10 हे0 भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नही होने से ग्राम आंजना के श्रीसरकार सर्वे नम्बर 2581 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 2580 रकबा 0.08 हे0 में से रकबा 0.03 हे0 कुल किता दो रकबा 0.06 हे0 भूमि की वर्तमान बाजार दर अनुसार राशि रू0 1,17,503/– (अक्षरे एक लाख, सत्रह हजार, पॉच सौ तीन रूपये) राजस्व मद 0029 भू–राजस्व में प्रार्थी के द्वारा जमा करायें जाने पर उक्त श्रीसरकार सर्वे नम्बर 2581 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 2580 रकबा 0.08 हे0 में से रकबा 0.03 हे0 कुल किता दो रकबा 0.06 हे0 भूमि को किस्म–रास्ता के रूप में दर्ज करने तहसीलदार अरथूना को आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.03.16 11:47:50 IST
Reason: SelfAttested

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner